न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 97 / 2011

उनवान

1. जीवण पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मण्डियानी, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. हमीरा मु0 हीरा,
2. छोटी पत्नी सुगनचन्द,
3. अमरचन्द,
4. राजू पि0 रामचन्द्र,
5. भंवरी पत्नी काना,
6. धमेन्द्र पुत्र काना,
7. नौसर पुत्री काना जाति–गुर्जर नि0 मंडियानी नसीराबाद,
8. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद राज. सरकार

—— प्रतिवादी :– 1 जरियें सीताराम रावत
2 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज. काश्त. अधि. 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.3.21

वादी ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी में वादी की पुश्तैनी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	पुराने ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
259 / 257	1353 मिन	3–12–0	1237	0.18
	1357	6–7–0	1237 / 2005	1.01
	1362	1–8–0	1256	0.57

आराजी मुतनाजा वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 02.09.85 के अनुसार अधिकार अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी। किन्तु दौराने बंदोबस्त हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी वादी की कयशुदा है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्रातज के करण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियं स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खा[illegible] मुतबन्ना हीरा, रामचन्द्र, काना पि0 हजारी थे। हीरा फौत होने से नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.7[illegible] आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी। तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना [illegible] हजारी के नाम दर्ज हुयी। वंर्किग जमाबंदी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मूल खातेदार तत्पश्चात प्रतिवादीगण [illegible] सों के नाम सही रूप से दर्ज की गयी। वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या [illegible] व 2 भू प्रबन्ध विभाग [illegible]ओ0 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अंकन किया गया है प्रथम दृष्टया शून्य है क्यो कि बंदोबस्त विभाग को नामान्तकरण करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। पूर्व नामान्तकरण में गलत प्रविष्ट अंकित की गयी जो हाल राजस्व अभिलेख में दुरूस्त की गयी है। आराजी मुतनाजा पर वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अत वाद सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में वाद पत्र व जावब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी –

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान अंकन त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
— वादी
2. आया प्रतिवादी रेकार्डेड खातेदार होने से वाद खारिज योग्य है ?
— प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है –

तनकी संख्या 1 व 2 :–

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्किंग खसरा नम्बर 1353, 1357 व 1362 हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वर्किंग जमाबंदी में दर्ज नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 02.09.85 मे खसरा नम्बर 1353, 1357 व 1362 हीरा वगै0 के स्थान पर भूली पत्नी बालू वगै0 के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1356 व 1366 जीवन, देवा पि0 भूरा वगै0 के नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद मे जिन वर्किंग खसरा नम्बर का अकन किया है वह वादी के नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज नही थे। नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 02.09.85 की प्रमाणित प्रति भी वादी द्वारा पेश नही की गयी है। आराजी मुतनाजा पर वादी का हक व अधिकार पुश्तैनी है अथवा उसके द्वारा उक्त आराजी क्रय की गयी है यह भी वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज से सिद्व नही होता है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी वादी/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज हो। हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज को ही दोहराया है। वादी ने अपने वाद कथनों को सिद्व करने के लिये कोई साक्ष्य भी पेश नही किये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णत की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.18, 1237/2005 रकबा 1.01 व 1256 रकबा 0.57 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जीवण बनाम हमीरा वगै0

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 97/2011
पेश करने की दिनांक – 20.05.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर सुखदेव चौधरी अभिभाषक मुददई सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.18, 1237/2005 रकबा 1.01 व 1256 रकबा 0.57 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 26 माह 03 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested